अतिशीघ्र/तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/396/एल.डब्ल्यू./2021–22/2824-2825 **दिनाँक –** 23/03/22

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषय– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 05, दिनाँक – 24.03.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 05 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–24.03.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संख्या – डी.ई. 25(13)/396/एल.डब्ल्यू./2021–22/2824–2825 **दिनाँक –** 23/03/22

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)

Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग
विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 05
दिनाँक :– 24.03.2022
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री अजय महावर
क्या माननीय उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	29 जुलाई, 2021 के सत्र में माननीय उप–मुख्यमंत्री के जवाब के अनुसार प्रधानाचार्य के 363 पद सीधी भर्ती (लोक सेवा संघ आयोग के माध्यम से) तथा 392 पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, इन सभी पदों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं, कृपया पूरी जानकारी दें;	Recruitment Rules दिनाँक 14.01.2019 के अनुसार, प्रधानाचार्य के पद के लिए चयन का तरीका सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत और विभागीय पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत है। सीधी भर्ती कोटा के तहत रिक्त 363 पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पत्र संख्या F.1(5)/Edn/Sectt./RPU/PL/DR/4/2019/47 दिनांक–13.01.2021 के माध्यम से मांग भेजी गई है। विभागीय पदोन्नति के तहत रिक्त 392 पदों के लिए प्रक्रिया वर्तमान में उप–प्रधानाचार्य की उपयुक्तता का आंकलन लम्बित होने के कारण रूकी हुई है। हालांकि, उपयुक्तता के आंकलन के लिए एक प्रस्ताव यू.पी.एस.सी. को दिनांक 04.03.2022 को पत्र संख्या F.No.43(1)/Sectt.Br/Edn/2020/209 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
ख)	दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं और वे कब तक किस प्रकार से भरे जाएंगे;	शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:– स्वीकृत पद: 65917; स्थाई शिक्षकों द्वारा भरे गए पद: 38250; अतिथि शिक्षकों द्वारा भरे गए पद: 20852; कुल: 59102; रिक्त पद: 6818 शिक्षकों की भर्ती के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को समय–समय पर मांग–पत्र (Requisition) भेजे जाते हैं तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया जारी है।
ग)	दिल्ली सरकार द्वारा 15 स्कूलों को विलय (को–एजुकेशन) कर दिए जाने के बाद अपनी लड़कियों को को–एजुकेशन मे ना पढ़ाना चाहने वाले पेरेंट्स की लड़कियों के लिए नए स्कूल नहीं खोले जाने तथा उन्हें को–एजुकेशन में पढ़ने के लिए बाध्य किये जाने के क्या कारण है;	सरकार का उद्देश्य है कि अधिकतम स्कूल एकल पाली में सह–शिक्षा के रूप में चले ताकि स्कूल की समयावधि पश्चात् अधिकतम छात्र–छात्राएं अतिरिक्त खेल क्रीडाओं व अन्य गतिविधियों में भाग ले सके, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। इन स्कूलों का सह–शिक्षा स्कूल के रूप में विलय, बच्चों के समय का सदुपयोग करते हुए परीक्षा परिणाम बढ़ाने में सहायक है तथा सभी अभिभावक खुशी–खुशी अपने बच्चों को को–एजुकेशन में भेज रहे हैं।
घ)	क्या स्कूलों को मर्ज करने से पहले पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या विद्यालय प्रबंधन समिति से सलाह ली गई थी;	जी हाँ। विद्यालय प्रबंधन समिति के सुझाव के बाद ही स्कूल विलय कराये गये हैं।
ङ)	घोंडा विधानसभा के स्कूलों में कुल कमरों की संख्या कितनी है और उसमें कितने कमरे गैर–शैक्षणिक कार्यो के लिए प्रयोग किये जाते हैं और कमरों की कमी के कारण छात्रों को आल्टरनेट डेज में विद्यालय में बुलाये जाने के क्या कारण हैं; और	घोंडा विधानसभा के स्कूलों में कमरों की संख्या कुल 521 है तथा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किए गए कमरों की संख्या 41 है। कोविड–19 के कारण स्कूल काफी समय बंद रहे और अब कोविड–19 के बाद कमरों की कमी एवं सामाजिक दूरी (Social Distancing) के अनुपालन के क्रम में कुछ विद्यालयों में यह समस्या है। ऐसे विद्यालयों में और कमरों के निर्माण हेतु प्रक्रिया जारी है।
च)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार स्कूलों को प्रधानाचार्य, उप–प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए ही को–एजुकेशन कर रही है, यदि हां, तो इसके क्या	विद्यालयों को सह–शिक्षा पद्धति पर लाना विभाग की नीति है। इसका रिक्त पदों से कोई संबंध नहीं है।

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054